(1)

संख्या : 675 / छप्पन–14–91 / 2012

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 30 मई, 2014

विषय : राजकीय हवाई पट्टी, सैफई, इटावा की रि–सरफेसिंग एवं सम्बद्ध कार्यो के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 52 / ना0उ0वि0 / सैफई / ह0प0, दिनांक 15.4.2014 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या–1423 / छप्पन–2012 –91 / 2012, दिनांक 28.02.2013, शासनादेश संख्या– 841 / छप्पन–13–91 / 12, दिनांक 8.8.2013, शासनादेश संख्या– 1826 / छप्पन–13–91 / 12, दिनांक 10.12.2013 तथा शासनादेश संख्या– 1983 / छप्पन–13–91 / 12, दिनांक 20.12.2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय हवाई पट्टी सैफई, इटावा के मूल निर्माता संस्था राइट्स लि0 को हवाई पट्टी की रि–सरफेसिंग एवं सम्बद्ध कार्यो हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित रूपये 36,99.45 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2012–2013 में प्रदान की गयी है, इस स्वीकृति के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को प्रायोजना का कार्य प्रारम्भ करने हेतु अनुबन्ध के अनुसार प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में रूपये 12,33,00,000 / – मोबीलाइजेशन अग्रिम उक्त इंगित शासनादेशों के तहत स्वीकृत किया है। तृतीय किश्त के रूप में उक्त इंगित शासनादेश दिनांक 10.12.2013 के तहत रूपये 5,79,56,000 / – एवं चतुर्थ किश्त के रूप में उक्त इंगित शासनादेश दिनांक 20.12.2013 द्वारा रूपये 7,38,82,400 / – की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रकार कार्यदायी संस्था को उक्त इंगित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष कुल रूपये 25,51,38,400 / – की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। कार्यदायी संस्था मैसर्स राइट्स लि0 को 11 प्रतिशत की दर से कन्सल्टेन्सी फीस तथा कन्सल्टेन्सी फीस पर तत्समय प्रभावी दर पर सर्विस टेक्स दिये जाने की स्वीकृति के सापेक्ष रूपये 2,80,02,293 / – की स्वीकृति प्रदान की जानी है। अतः राज्यपाल महोदय राजकीय हवाई पट्टी, सैफई, इटावा की रि–सरफेसिंग एवं सम्बद्ध कार्यो को कराये जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 में राइट्स लि0 को पंचम किश्त के रूप में रूपये 2,80,02,293 / – अर्थात रूपये 2,80,02,000 / – (दो करोड़ अस्सी लाख दो हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है।

––2

2— शासनादेश संख्या—1423/छप्पन—2012—91/2012, दिनांक 28.02.2013 के द्वारा पूर्व में दी गई प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति में उल्लिखित शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेगे।

3— उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014—15 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या— 38 में उपलब्ध लेखानुदान के अन्तर्गत लेखाशीर्षक—5053—नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय— आयोजनागत—02—विमानपत्तन—800—अन्य व्यय—20—हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन—24—वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या : 675(1)/छप्पन—14—तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित :—

1. महालेखाकार—प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा) उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर—एच, अलीगंज, लखनऊ—226 024.
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/इटावा।
4. जिलाधिकारी, इटावा।
5. महाप्रबन्धक (एयरपोर्ट्स डिवीजन) राइट्स लि0, प्लाट नं0—144, सेक्टर—44 गुड़गॉव—122003 (हरियाणा)।
6. वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—7
7. नियोजन अनुभाग—4
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।